Speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/SER-683/DL/32/2022-SSW

दिनांक: 05.06.2023

सेवा में,

डॉ. रीटा वशिष्ठ
सचिव,
विधायी विभाग , विधि और न्याय मंत्रालय,
चौथी मंजिल, 'ए' विंग , शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 (दिल्ली)
Email Id: secyoffice-ld@gov.in, Tel. No: 23384617

विषय: **अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की पदोन्नति न किए जाने के संबंध में - श्री अगस्तुस केरकेट्टा, अपर विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली का दिनांक 18.11.2022 का अभ्यावेदन।**

महोदया ,

मुझे उपरोक्त विषय पर, श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2023 को 12:00 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि सिटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिसे माननीय सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(आर. एम. मिश्र)
अनुसंधान अधिकारी
फोन :- 011-24641640

प्रतिलिपि :-

श्री अगस्तुस केरकेट्टा,
अपर विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड,
विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
Email: kerkettaaugustus@gmail.com, मो. नं. 8826188679

Copy for information

1. PS to Hon'ble Member, NCST.
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

****

No. NCST/SER-683/DL/32/2022-SSW

श्री अगस्तुस केरकेट्टा, अपर विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली पदोन्नति के संबंध मे - श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 11-05-2023 को 12 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नयी दिल्ली मे आयोजित बैठक के कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 11/05/2023, 12:00 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्री अगस्तुस केरकेट्टा, अपर विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ने दिनांक 18.11.2022 के अभ्यावेदन में बताया है कि प्रोन्नति के संबंध में दिनांक 06.05.2022 को सचिव, विधायी विभाग को अभ्यावेदन दिया था, जिस पर कार्रवाई नहीं की गई है। राजभाषा खंड में वर्ष 2018 से संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, हिंदी शाखा का पद रिक्त है तथा एक पद सेवा निवृत्त के कारण दिनांक 31.10.2022 से रिक्त हुआ है। दिनांक 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हो रहा हू, विभाग द्वारा अभी तक डीपीसी की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी पद के लिए सेवा काल तीन वर्ष का होना चाहिए, इसमें मात्र 43 दिन की छूट प्रदान करने से वह पद पर पदोन्नत हो सकते हैं। अत: मामले में डीपीसी की अविलम्ब बैठक हेतु दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे सेवानिवृत्त से पहले पदोन्नति प्राप्त कर सकूँ।

प्रकरण में तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 6/12/2022 को नोटिस भेजा गया। विधायी विभाग ने अपने उत्तर दिनांक 20/12/2022 के द्वारा कहा है कि याचिकाकर्ता के पास प्रोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। इसके पश्चात विधायी विभाग तथा आवेदक के साथ पत्राचार किया गया।

विधायी विभाग ने पत्र दिनांक 27.03.2023 बताया कि आवेदक संयुक्त सचिव एव विधायी परामर्शी के पद के लिए पात्रता सेवा दिनांक 12.02.2023 को पूरी की है। प्रोन्नति का प्रस्ताव आरंभ किया है जो विचाराधीन है और सभी प्रशासनिक औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद इस प्रोन्नति के मामले को संघ लोक सेवा आयोग को समुचित विचार एवं आगे की कार्यवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा

आवेदक ने विधायी विभाग के पत्र दिनांक 27.03.2023 के उत्तर में बताया कि विभाग द्वारा उचित माध्यम से DOPT को प्रस्ताव नहीं भेजा गया। संबन्धित अधिकारी द्वारा आवेदक को पदोन्नति नहीं करने के संबंध में धमकी भी दी।

अनन्त नायक
अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अत: माननीय सदस्य ने 11/05/2023 को दोपहर 12:00 बजे सचिव, विधायी विभाग और याचिकाकर्ता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया । तदनुसार, डॉ रीटा वशिष्ठ, सचिव, विधायी विभाग को सम्मन जारी किया गया है। याचिकाकर्ता को भी बैठक में शामिल होने की सूचना दी गई थी।

बैठक में विधायी विभाग के प्रतिनिधियों तथा आवेदक उपस्थित हुए। बैठक मे विधायी विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया की प्रकरण मे माननीय मंत्री जी से अनुमोदन आज ही प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा DOPT के साथ कार्यवाई की जाएगी। उसके पश्चात UPSC को मामला DPC के विचार हेतु भेजा जाएगा। आवेदक को विधायी विभाग के अधिकारी द्वारा पदोन्नति नहीं होने देने के संबंध मे, आयोग ने विधायी विभाग के प्रतिनिधियों एवं आवेदक से जानकारी मांगी। विधायी विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनका कोई पदाधिकारी आवेदक को धमकी नहीं देता है। जबकि आवेदक ने बताया उसको किसी अन्य व्यक्ति ने बताया था, अतः उसने आयोग को लिखित शिकायत दी थी । आयोग ने आवेदक को सलाह दी कि वह लिखित मे विधायी विभाग को सूचना दे कि वह किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर संबन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध लिख दिया था तथा आयोग को भी यह जानकारी दे।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, माननीय सदस्य ने संस्तुति कि विधायी विभाग द्वारा आवेदक की पदोन्नति के संबंध मे DOPT तथा UPSC के साथ DPC सुनिश्चित करने के लिए की गयी कार्यवाही की सूचना, बैठक से महीने भर के अंदर आयोग को प्रेषित करें।

A. Nayak

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

List of participants of the sitting held on 11th day of May, 2023 at 12:00 (Noon) under the Chairmanship of Shri Ananta Nayank, Hon'ble Member, NCST, New Delhi in the case of Shri Augustus Kerketta regarding अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की पदोन्नति न किए जाने के संबंध में।

I	**Department of Legislative**
	Udaya Kumara, Joint Secretary & Legislative Counsel
II	**Petitioner**
	Shri Augustus Kerketta